

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 28/2024

दायर दिनांक 01.02.2024

वादी

1. आसीक अली पुत्र इब्राहीम
अली जाति सैयद उम्र 69
वर्ष निवासी मौहल्ला
सैयदान डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन।

प्रतिवादी

1. मोहम्मद रजा पुत्र मोहम्मद नसीब
2. मोहम्मद सदीक पुत्र मोहम्मद नसीब के
वारिसान
क मोहम्मद फारुख पुत्र मोहम्मद सदीक
ख मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद सदीक
ग असगर अली पुत्र मोहम्मद सदीक
घ फूल बानो पत्नी मोहम्मद सदीक
ङ सजीदा बानो पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
मो0 वसीम बेग
च रेहाना बेगम. पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
आबिद अली समस्त जातिगण सैयद
निवासीगण मौहल्ला सैयदान डीडवाना
जिला डीडवाना- कुचामन राज0।
छ मदीना बानो पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
इसरार अली जाति सैयद निवासी
कोहलीपाड़ा, वाल्मीकि कॉलोनी, जैसलमेर।
3. नसीम बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी
महमूद अली
4. रूकया पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी आसीक
अली समस्त जातिगण सैयद, नि. डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन
5. आबिदा बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी
अंसार अली
6. कलसुम पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी
मोहम्मद युसुब समस्त जाति सैयद
निवासीगण जय जीवणराम कॉलोनी,
खेतानाडी, जोधपुर
7. शाहिदा बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी
अब्दुल मजीद जाति सैयद निवासी
कोहलीपाड़ा, वाल्मीकि कॉलोनी जैसलमेर
8. सईदा पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी मोहम्मद
शफीक के वारिसान-
क. सैयद रमीज पुत्र मोहम्मद शफीक
ख. सैयद अंजूम पुत्री मोहम्मद शफीक
9. गणेशाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट
निवासी पावटा तहसील मौलासर
10. दयाल पुत्र सीतादेवी जाति खाति निवासी
गुमानपुरा तह0 लोसल जिला सीकर
11. रमेशचन्द्र पुत्र बालुराम जाति माली निवासी
मैदासर बास, डीडवाना
12. रामनिवास पुत्र गोविन्दराम जाति जाट
निवासी धिरडोदा मीठा तहसील लाडनूं
13. हरिप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति खाति
निवासी मैदासर बास डीडवाना
14. हिमांशू सैनी पुत्र रामगोपाल जाति माली
निवासी मैदासरबास, डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निपेघाजा

1. श्री अल्लाफ हुसैन वकील वादी।
2. श्री श्रीराम कुदणा वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 8 के दिनांक 10.06.2024 पिता/दादा स्व० मोहम्मद नसीब पुत्र जरीफ अली की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काशत के वर्तमान खेत खसरा सं० 1032 रकबा 2.2900 हैक्टे०, खसरा सं० 1033 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1034 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 1035 रकबा 2.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 1036 रकबा 2.5700 हैक्टे०, खसरा सं० 1037 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 956 रकबा 8.4700 हैक्टे० कुल खसरा सं० 07 कुल रकबा 15.8400 हैक्टे०, खसरा सं० 1030 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1031 रकबा 2.6000 हैक्टे० कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टे० वाकै सरहद डीडवाना अवस्थित रहा है। उक्त खेत की भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा व कब्जा काशत तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 8 के पूर्वज स्व० मोहम्मद नसीब का 1/2 हक हिस्सा व कब्जा काशत रहा है। इसी प्रकार वर्तमान खेत खसरा सं० 1030 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1031 रकबा 2.6000 हैक्टे० कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टे० वाकै सरहद डीडवाना की भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा व कब्जा काशत तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 8 के पूर्वज मोहम्मद नसीब का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 9 का 17/144 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 10 का 1/54 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 11 का 17/144, प्रतिवादी सं० 12 का 17/144, प्रतिवादी सं० 13 का 1/108, प्रतिवादी सं० 14 का 17/144 हक हिस्सा रहा है।

यह है कि उक्त खेत की भूमि वादी की खातेदारी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 की पुश्तैनी कृषी भूमि है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा व खसरा सं० 1030 व 1031 में 1/4 हक हिस्सा रहा है तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 8 का इस खेत में 1/4 हिस्सा व शेष खेताय की भूमि में 1/2 हक हिस्सा कब्जा काशत रहा है। खातेदार मोहम्मद नसीब का दिनांक 20.05.2002 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ता 8 रहे है। जिनमें से खातेदारी मो० नसीब के पुत्र प्रतिवादी सं० 2 मोहम्मद सदीक का दिनांक 14.11.2020 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी क ता छ है तथा इसी प्रकार मोहम्मद नसीब की एक पुत्री प्रतिवादी सं० 8 सईदा का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान क व ख है। इनके अलावा स्व० मोहम्मद नसीब का कोई भी वारिस नही है।

यह है कि बिनाय दावा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेत खसरा सं० 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 956 कुल खसरा 7 कुल रकबा 15.8400 हैक्टे० वाकै सरहद डीडवाना की भूमि वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की 1/2-1/2 खातेदारी व कब्जा काशत की होने व खसरा सं० 1030, 1031 कुल रकबा 2.6500 हैक्टे० वाकै सरहद डीडवाना की भूमि में वादी का 1/4 व प्रतिवादी सं० 1 ता 8 का 1/4 व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं० 9 ता 14 का होने प्रतिवादीगण द्वारा लगातार वादी को कब्जे से बेदखल करने की 6-7 दिनों से धमकियां दिलवाने व वादी के कब्जे काशत में अत्यधिक दखल अन्दाजी देने से निरन्तर हुदुद अदालत वाला के उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :-

यह है कि खेत खसरा सं० 1032 रकबा 2.2900 हैक्टे०, खसरा सं० 1033 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1034 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 1035 रकबा 2.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 1036 रकबा 2.5700 हैक्टे०, खसरा सं० 1037 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 956 रकबा 8.4700 हैक्टे० कुल खसरा सं० 07 कुल रकबा 15.8400 हैक्टे० भूमि वाकै सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 के बीच 1/2-1/2 बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स व वर्तमान खेत खसरा 1030 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1031 रकबा 2.6000 हैक्टे० कुल खसरा सं० 2 कुल रकबा 2.6500 हैक्टे० वाकै सरहद डीडवाना में वादी का 1/4 हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जावें।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 2(ग), 10, 13, 15 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं० 1, 2(क), (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), 3, 4, 5, 6, 7, 8(क), (ख), 9, 11, 12, 14 ने दिनांक 21.05.2024 को राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वकील श्री अल्ताफ हुसैन व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री श्रीराम कुदणां ने की। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिशाल किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सरहद डीडवाना के मुतवादिया आराजीयात खसरा सं० 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 956, 1030, 1031 कुल रकबा 18.4900 हैक्टयर भूमि के भूमि वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 14 सहखातेदार है। बाहमी बन्तवारा के अनुसार विधिवत बन्तवारा करवाने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। बाहमी बन्तवारा की पुष्टि में प्रतिवादीपक्ष ने राजीनामा पेश किया है। सह खातेदार होने के कारण वादी बन्तवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री किया जाता है।

--: आदेश :-

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा डीडवाना के खेत खसरा सं० 1032 रकबा 2.2900 हैक्टेटे, खसरा सं० 1033 रकबा 0.0500 हैक्टेटे, खसरा सं० 1034 रकबा 0.0400 हैक्टेटे, खसरा सं० 1035 रकबा 2.3800 हैक्टेटे, खसरा सं० 1036 रकबा 2.5700 हैक्टेटे, खसरा सं० 1037 रकबा 0.0400 हैक्टेटे, खसरा सं० 956 रकबा 8.4700 हैक्टेटे, खसरा 1030 रकबा 0.0500 हैक्टेटे, खसरा सं० 1031 रकबा 2.6000 हैक्टेटे की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्तवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.05.2024 व नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजीनामा दिनांक 21.05.2024 तथा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो।

inkas

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

inkas

(विकास मोहन भाटी)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इत्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बड़जलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 28/2024 दायर दिनांक 01.02.2024

प्रतिवादी

वादी
आसीक अली पुत्र इब्राहीम
अली जाति सैयद उम्र 69
वर्ष निवासी मौहल्ला
सैयदान डीडवाना तहसील
डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन।

बनाम

1. मोहम्मद रजा पुत्र मोहम्मद नसीब
2. मोहम्मद सदीक पुत्र मोहम्मद नसीब के वारिसान
क मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद सदीक
ख मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद सदीक
ग असगर अली पुत्र मोहम्मद सदीक
घ फूल बानो पत्नी मोहम्मद सदीक
ङ सजीदा बानो पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
मो0 वसीम बेग
च रेहाना बेगम पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
आबिद अली समस्त जातिगण सैयद
निवासीगण मौहल्ला सैयदान डीडवाना
जिला डीडवाना- कुचामन राज0।
छ मदीना बानो पुत्री मोहम्मद सदीक पत्नी
इसरार अली जाति सैयद निवासी
कोहलीपाड़ा, वाल्मीकि कॉलोनी, जैसलमेर।
3. नसीम बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी महमूद अली
4. रुकया पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी आसीक अली
समस्त जातिगण सैयद, नि. डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन
5. आबिदा बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी अंसार अली
6. कलसुम पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी मोहम्मद युसुब
समस्त जाति सैयद निवासीगण जय जीवणराम
कॉलोनी, खेतानाड़ी, जोधपुर
7. शाहिदा बानो पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी अब्दुल
मजीद जाति सैयद निवासी कोहलीपाड़ा, वाल्मीकि
कॉलोनी जैसलमेर
8. सईदा पुत्री मोहम्मद नसीब पत्नी मोहम्मद शफीक के
वारिसान-
क. सैयद रमीज पुत्र मोहम्मद शफीक
ख. सैयद अंजूम पुत्री मोहम्मद शफीक
9. गणेशाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी पावटा
तहसील मौलासर
10. दयाल पुत्र सीतादेवी जाति खाति निवासी गुमानपुरा
तह0 लोसल जिला सीकर
11. रमेशचन्द्र पुत्र बालुराम जाति माली निवासी मैदासर
बास, डीडवाना
12. रामनिवास पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी
घिरडोदा मीठा तहसील लाडनू
13. हरिप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति खाति निवासी मैदासर
बास डीडवाना
14. हिमांशू सेनी पुत्र रामगोपाल जाति माली निवासी
मैदासरबास, डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
राज0
15. तहसीलदार डीडवाना।

inkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 10.06.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री अल्लाफ हुसैन वकील वादी व श्री श्रीराम कुदणां वकील प्रतिवादीगणकी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा डीडवाना के खेत खसरा सं० 1032 रकबा 2.2900 हैक्टे०, खसरा सं० 1033 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1034 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 1035 रकबा 2.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 1036 रकबा 2.5700 हैक्टे०, खसरा सं० 1037 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 956 रकबा 8.4700 हैक्टे०, खसरा 1030 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 1031 रकबा 2.6000 हैक्टे० की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्तवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.05.2024 व नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजीनामा दिनांक 21.05.2024 तथा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.06.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

WKRAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

WKRAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना